न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 149/13/दुरूस्ती

प्रताप सिंह पुत्रश्री प्रेम सिंह आयु 35 साल जाति राजपूत निवासी भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

–वादी/प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी/अप्रार्थी

दावा बाबत रिकार्ड संशोधन अं.धारा 136 भूराज.अधि.

उपस्थिति– श्री भवानीसिंह शेखावत वकील वादी/प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक– 23.06.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 663 रकबा 1.35 है0, 664 रकबा 0.68 है0, 665 रकबा 0.34 है0, 666 रकबा 0.17 है0, 667 रकबा 1.28 है0, 671 रकबा 0.64 है0, 672 रकबा 1.47 है0, 673 रकबा 0.91 है0, 674 रकबा 1.91 है0, 675 रकबा 0.80 है0, 678 रकबा 1.11 है0, 679 रकबा 0.22 है0 किता 12 कुल रकबा 10.88 है0 जिसके पुराने ख.नं. 356 मि. तन ग्राम चिमनपुरा (भारीजा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी के पिता का 1/15 हक हिस्सा है जो वादी के पिता के नाम खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी के दादा रिछपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् रिछपालसिंह के विरासत का ना.करण सं. 419 तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर ग्राम पंचायत, भारीजा द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया। उक्त ना.करण में स्पष्ट रूप से वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह दर्ज है। वादी के पिता का नाम प्रेमसिंह है। वादी के पिता प्रेम सिंह के नाम से निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड, उतर रेल्वे द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह दर्ज हैं रिछपाल सिंह की मृत्यु पश्चात् रिछपाल सिंह के वारिसान का ना. करण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2035–38 में भी वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह सही अंकित किया गया है। इसके पश्चात् की जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह की जगह ओम सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। ओम सिंह की जगह वादी के पिता प्रेम सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर तदनुसार

उप... अधिकारी
...मगढ

संशोधन के आदेश पारित किया जाना प्रार्थनीय है। अतः वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों में ओम सिंह के स्थान पर वादी के पिता प्रेम सिंह का नाम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावें।

2. वाद/आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन के समर्थन में साक्ष्य वादी/प्रार्थी प्रताप सिंह के शपथ पत्र पेश किया गया एवं दस्तावेजात एक्जी. करवाये गये।

3. वादी/प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादी/प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों में वादी के दादा रिछपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासत का ना.करण सं. 419 तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर ग्राम पंचायत, भारीजा द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया। उक्त ना.करण में स्पष्ट रूप से वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह दर्ज है। वादी के पिता प्रेम सिंह के नाम से निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड, उतर रेल्वे द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2035–38 में भी वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह सही अंकित किया गया है। इसके पश्चात् की जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता का नाम प्रेम सिंह की जगह ओम सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। ओम सिंह की जगह वादी के पिता प्रेम सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर तदनुसार संशोधन के आदेश पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने वादी/प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 419 ग्राम पंचायत, भारीजा द्वारा रिछपाल सिंह की मृत्यु का विरासत कालम सं. 11 में अंकित अनुसार प्रेमसिंह, मालसिंह, विरेन्द्रसिंह पुत्रगण रिछपाल सिंह हि.ब.हि. 1/5 दर्ज है। उक्त ना.करण के आधार पर जमाबंदी संवत् 2035–38 में नाम सही अंकित है। इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2044–47 में ओम सिंह, मालसिंह, विरेन्द्र सिंह पि. रिछपालसिंह कौम राजपूत हि. 1/5 हि.बराबर दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 में दर्ज चला आ रहा है। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड, उतर रेल्वे द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में प्रेम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह दर्ज है। पुराने अभिलेख के अनुसार वादी/प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्ती किये जाने योग्य है। अतः आवेदन दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

चिमनपुरा प.मं. भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी / प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह का नाम जमाबंदी संवत् 2035–38 के अनुसार (मिलान क्षेत्रफल अनुसार) वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 खाता सं. 16 में ओम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इबारत मुताबिक जमाबदी बदस्तूर रहेगी। तदनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 23.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
दांतारामगढ